सत्यमेव जयते
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change
वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून / Directorate of Forest Education, Dehradun
डाकघरः न्यूफॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखंड) / PO - New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)
दूरभाष / Tel.: 0135 - 2750127, 2757326 | ई-मेल / E-mail: dfe-dehradun@gov.in | वेबसाइट / Website: www.dfe.gov.in

LiFE Lifestyle for Environment

No.4-547/Trg.-II/DFT-2012/Part-II/168-73 दिनांक: 25.04.2026

संशोधित कार्यालय आदेश

वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के अठारह माह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण व्यय के पुनरीक्षण के संबंध में निदेशालय के कार्यालय आदेश सं 4-547/प्रशि.-II/DFT-2012/भाग-II/3653-3732 दिनांक 14.11.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों से प्रशिक्षण दरों में वृद्धि के संबंध में प्राप्त अनुरोधों तथा प्रशिक्षण इनपुट, लॉजिस्टिक्स, आवास, यात्रा व्यय एवं अन्य संबंधित सेवाओं की लागत में निरंतर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुचारु एवं प्रभावी संचालन हेतु दरों को पुनः संशोधित किया जाना आवश्यक है।

अतः वन क्षेत्रपाल अधिकारियों के लिए *प्रवेश एवं प्रशिक्षण नियम (संशोधित), 2004* के नियम 30, खंड-IV के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अठारह माह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि हेतु प्रति प्रशिक्षु विभिन्न मदों के संशोधित दर निम्नानुसार अधिसूचित किए जाते हैं:

क्रम सं.	**विवरण**	**संशोधित दरें**
1	ट्यूशन शुल्क	₹ 1,50,000/-
2	भ्रमण व्यय[1]	₹ 4,00,000/-
3	उपकरण भत्ता	₹ 1,25,000/-
4	संस्थागत शुल्क	₹ 75,000/-
	कुल	**₹ 7,50,000/-**

*प्रवेश, प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रस्थान तथा अवकाश/छुट्टी के दौरान यात्रा व्यय को छोड़कर।

उपरोक्त संशोधित दरें इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी तथा इस तिथि के पश्चात प्रारंभ होने वाले सभी FRO अधिष्ठापन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर लागू होंगी।

अतिरिक्त निर्देश:

1. **सावधि धनराशि (वापसी योग्य):** ₹10,000/- प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा प्रवेश के समय जमा की जाएगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर शेष बकाया समायोजित करने के उपरांत यह राशि संबंधित अकादमी द्वारा वापस की जाएगी।
2. **वृत्ति (Stipend):** यदि किसी राज्य सरकार द्वारा अधिकारी प्रशिक्षु को वेतन के स्थान पर वृत्ति दी जा रही है, तो यह राशि ₹44,900/- प्रति माह से कम नहीं होनी चाहिए।
3. **आवास एवं यात्रा व्यय:** भ्रमण के दौरान प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के समकक्ष ग्रेड पे वाले अधिकारियों के लिए लागू यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा। निधि की कमी की स्थिति में अकादमी निम्न दरें लागू कर सकती है, तथापि अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिक व्यय होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

4. **उपकरण एवं अन्य सामग्री:** FRO प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाले उपकरण एवं प्रशिक्षण सामग्री की सांकेतिक सूची परिशिष्ट–I में संलग्न है। यह सूची संकेतात्मक है तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार संस्थानाध्यक्ष विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
   सभी क्रय भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (GFR) के प्रावधानों के अनुरूप किए जाएंगे। क्रय समिति में संबंधित बैच के तीन प्रशिक्षु प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपकरण मद के अंतर्गत प्राप्त राशि में से बचत होने पर उसे प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत संबंधित राज्य सरकार को तत्काल वापस किया जाएगा।
5. **संस्थागत शुल्क का उपयोग:** विद्युत, जल, छात्रावास की सफाई हेतु उपभोग्य सामग्री, आईटी व्यय तथा अन्य प्रशिक्षण संबंधी व्यय संस्थागत शुल्क से वहन किए जा सकते हैं।
6. **लेखांकन एवं वापसी:** सभी अकादमियों के प्राचार्य भारत सरकार के वित्तीय नियमों के अनुसार प्रत्येक मद का लेखा-जोखा रखेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के तीन माह के भीतर शेष या अधिक व्यय की राशि प्रायोजक प्राधिकारी को लौटाई या उनसे प्राप्त की जाएगी।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

निदेशक वन शिक्षा

वितरण:

1. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के वन सचिव।
2. सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)।
3. निदेशक, भारतीय वन प्रबंधन अकादमी (IGNFA), जानकारी हेतु।
4. उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।
5. निदेशक/प्रधानाचार्य, सभी राज्य वन प्रशिक्षण संस्थानों/अकादमियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अभिलेख हेतु।

Annexure-I

List of Indicative Equipment & Other items to be provided for FRO Officer Trainees		
S.N.	**Item**	**Approx cost (Lump Sum)**
Category -A Uniform Accessories & Field kit items		
1	Sport Shoe, Lower White for Ladies, White Short for Gents, White T-shirt for Ladies & Gents, Track Suit with Academy Logo for ladies & Gents - 02 Sets, Badminton Racket - I No.	10000
2	Khaki Full Pant & Full shirt 2 pair, White shirt & Grey Pant - Ladies Dress 2 pair (White Kameej & Grey Salwar with Grey Dupatta), Khaki Woolen Pullover No 1, Socks (Black & White 3 pair), Black Shoe & Trekking shoe 1 pair	12000
3	Blazer with Academy logo	5000
4	French Curves	500
5	Academy Tie/Scarf	500
6	Rain Suit/ Umbrella	750
7	Khukri with Knife and Cover & Torch	750
8	Belt & ID card	1000
9	Rucksack & Sleeping Bag / Trolley bag	3500
10	Water Bottle	1000
11	Hunter Shoe (Field Shoe)	3000
12	Knap sack	1000
13	Hiking Stick	500
14	Yoga Mat	500
15	Field Uniform-camouflaged full pant & shirt with cap - 2 sets	5000
Category -B Stationary & Books		
16	Survey Stationaries, Drawing Box, Set Squire & Measuring Tape, Forestry Books for SFS Officer as per their requirement	10000
Category -C Misc Items		
17	Motor Driving Training	3000
18	Contingent Expenditure on Annual Sports Meet Shared by all trainees for common benefit/use of trainees	5000
19	Academy Annual Function/Convocation shared by trainees for common benefits/use of trainees	5000
Category -D Equipments		
20	Items of common use printer, cartrage, photos,copies/Fax/Scanner	4000
21	Binocular	8000
22	Computer consumable harddrive, pendrive, sheets etc	5000
23	Other Equipments & Items	40000
Total Expenditure FRO Training		**125000**

Note* The cost are indicative only and are subject to variations

Raj Kumar Bajpai

Director Forest Education